श्रम सचिवों की कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी जानकारी

बदलेगा श्रम कानून, 26 हफ्ते का होगा मातृत्व अवकाश

दबंग रिपोर्टर ◆ भोपाल

देश के असंगठित क्षेत्र में मातृत्व अवकाश 12 से बढ़कर 26 हफ्ते का होगा। इसके लिए मौजूदा श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी।

वे मंगलवार को नौ राज्यों के श्रम सचिव की क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली. इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार नए रोजगारों के अवसर बनाने के साथ उद्योगों और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। इसमें बोनस की पात्रता और इलाज, पेंशन की सुविधा जैसे विषय शामिल किए गए हैं।

इस सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए 14 कानूनों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने राज्य में हो रहे कामकाज का ब्योरा दिया। इस कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड के श्रम विभाग के अधिकारी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद ने पिछले वर्ष बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम को पारित कर दिया है, जिससे कई और श्रमिक इसका लाभ पाने के दायरे में आ गए हैं। इसी प्रकार अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया गया अधिनियम मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम मातृत्व अवकाश की सीमा को बढ़ा देगा।

संबोधित करते केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय।

जमीन दें राज्य सरकारें

कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि देश में कई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) डिस्पेंसरियों को अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को जमीनें उपलब्ध करानी होंगी। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे केंद्र की ओर से लाई गई श्रमिक कल्याण योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। इस बात पर जोर देते हुए कि रोजगार पैदा करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, दत्तात्रेय ने कहा कि इस उद्देश्य को देखते हुए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। हर जिले में रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे।

40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक

कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा, वेतनिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में आज भी असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं। कई विधेयक लाए गए, लेकिन श्रमिकों के वेतन, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा और पेंशन जैसे मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले ढाई साल में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।